



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्रतिनियुक्ति समाप्त/वि.अ./2010/32

जयपुर, दिनांक 2-1-2020

**आदेश**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की उनके नाम के सामने अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (शिक्षा) को लौटायी जाती है:-

क.सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री रामप्रकाश गालव	बयाना (भरतपुर)	30.4.2020
2.	श्री रामस्वरूप प्रजापत	मसूदा (अजमेर)	30.9.2020

उक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग(मुख्यालय) पर प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर/भरतपुर।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
9. जिला कलेक्टर अजमेर/भरतपुर।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर/भरतपुर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना (भरतपुर)/मसूदा(अजमेर)।
12. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)